हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 फरवरी, 2017

संख्या लैज. 33/2016.– दि कॉःट फ़ीस (हरियाणा ॲमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2016 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 2 फरवरी, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29

न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, हरियाणा
राज्यार्थ, को आगे संशोधित
करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम। **1.** यह अधिनियम न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1870 का केन्द्रीय अधिनियम 7 की धारा 26 का संशोधन। **2.** न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 26 में, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात् :–

''व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''स्टाम्प'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मोहर या पृष्ठांकन तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए प्रभार्य या चिपकाने वाली या छापित स्टाम्प भी शामिल है; तथा

(ii) ''छापित स्टाम्प'' से अभिप्राय है, किसी अंकन या किसी अन्य मशीन या ई–स्टाम्पिंग द्वारा कोई छाप।''।

निरसन तथा व्यावृत्ति। **3.** (1) न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55006—L.R.—H.G.P., Chd.